

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 113/2017

No. E.691/O/Pt.IV

Kolkata, Dated: 15/09/2017

All Concerned

(as per standard list)

Sub: Consideration of appeal of non-Gazetted candidates selected for Railway employment - Cases of candidates declared unfit upon medical examination.

Instructions of Ministry of Railways (Railway Board) issued vide their letter No. 2014/H/5/8 (Policy) dated 07/07/2017 on the above noted subject, are communicated herewith, along with ACS No.3/2017 to Para 522 of IRMM, 2000 as well as Hindi version, for information and necessary action. Board's earlier letters dated 05/06/2014 and dated 31/12/2015, as referred to therein, were circulated under this office serial nos. 82/2014 & 35/2016, copies of which are also available to official website of Eastern Railway under following URLs mentioned against each:

Sl. No.82/2014	http://www.er.indianrailways.gov.in/cris//uploads/files/1406710051787-82.pdf
Sl. No.35/2016	http://www.er.indianrailways.gov.in/cris//uploads/files/1460710964823-35%202016.pdf

DA: As above.


(S. Chakraborty)

Sr. Personnel Officer/BGB

For Chief Personnel Officer

Phone No. 24115

Index No. 1049: Amendment to Para 522 of IRMM, 2000 - Reconsideration of adverse reports of medical examination of candidates selected for employment in non-gazetted posts and procedure for making an appeal and its disposal - guidelines regarding.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

11/18/8/17

No. 2014/H/5/8 (Policy).

New Delhi, Dated: -07.07.2017.

2130

General Managers,
All Indian Railways.

General Managers/CAOs/DG,
All Production Units including RDSO.

Sub: - Consideration of appeal of non-Gazetted candidates selected for Railway employment
Cases of candidates declared unfit upon medical examination.

Ref:- This office letter of even number dated 05.06.2014 & 31.12.2015.

Detailed provisions for reconsideration of adverse reports of medical examination of candidates selected for employment in various non-Gazetted posts in Railway Services and procedure for making an appeal and its disposal have been laid down in Para 522 (I) of IRMM, Third Edition, 2000. However, it was not clear from the said provisions as to who would act as the appellate authority and what would be the maximum number of appeals that are permitted resulting into a number of appeals for reconsideration of the cases even though they have been declared unfit during initial medical examination. Some of the candidates were also approaching Railway Board for reconsideration of decision of the Zonal Railways on their earlier appeals.

There have also been instances where the candidate was declared unfit by the initial medical examiner due to the candidate being hypertensive/diabetic or visual acuity problems. Some such candidates have taken treatment and then, within the stipulated time frame, submitted an appeal for reconsideration. In such cases, it becomes really difficult for the appellate authority to come to a conclusion with regard to the candidate's original condition which was prevailing at the time of initial medical examination. The appellate authority will be in no position to disprove that the person has been administered medicines or has undergone surgical treatment for refractive error etc. This situation calls for a permanent remedy by laying down a specific procedure for examination of candidates, consideration of their appeal in case they are declared unfit in the initial medical examination as also disposal of subsequent appeals by higher authorities. In view of this, a detailed policy guideline was issued to the zones vide this office letter of even No. dated 05.06.2014. Though the clarification given by this office has helped the zone to a great extent in deciding the cases but some issues relating to the subject required further elaboration.

The matter was considered at length in Board's office and in supersession to Board's letter of even No. dated 05.06.2014, revised guidelines were issued vide Board's letter of even number dated 31.12.2015.

However, arising out of Vigilance enquiries in certain cases of medical examination and appeals, whole issue has been re-examined and it is felt that certain provisions contained in paras III, VII (A&B) of Board's letter dated 31.12.2015 need to be amended to clarify the whole position in consonance with the

संयोजक निदेशक प्रशासनिक विभाग
ACM SDGM (P.O.)
प्रतिनिधि प्रमुख वि.स. एवं प्रशिक्षण विभाग
CMD CSC FA & CAO

23 JUL 2017
OSR. Dy. CPO (R)
100/24/8

42

N/A

Handwritten signature

provisions of IRMM 2000. Accordingly, in supersession to all previous letters on the subject matter, following instructions are issued:-

- I. Medical Examiner – Medical examination of candidates will be done by a Medical Officer with adequate experience in doing medical examination who will be specially nominated by the CMO/CMS/MD/ACMS In-charge for this purpose, imparted suitable training, and approved by CMD/CMO of the zone/PU.
- II. If a candidate has been found to be unfit (Temporary/ Permanent) on any ground, the medical examiner will not issue any certificate and will put up the detailed medical examination report to the CMO/MD/CMS/ACMS In-charge of the Unit/Division/Sub-division/Production Unit Hospital.
- III. CMO/CMS/MD/ACMS In-charge will then constitute a Three Member Medical Committee consisting of 1) a specialist in the concerned field of deficiency other than the initial medical examiner. However, if the specialist is not available within the Unit/Division/Production Unit, a senior doctor not below JAG would be nominated in place of a specialist 2) Any medical officer other than the one who has conducted the first medical examination not below the rank of DMO 3) Any senior medical officer not below JAG.
- IV. This Three Member Medical Committee will examine the candidate thoroughly in true spirit without any appeal preferred by the candidate. Such candidate should be admitted in indoor ward mandatorily, for observations & investigations as required by the Committee of Medical Officers. The accommodation charges etc. in this regard will be borne by the Railway Administration except for such investigations and/or consultations, which is not available in-house, for which the charges will be borne by the candidate concerned. The Committee will submit their report to CMO/CMS/MD/ACMS In-charge along with their opinion & speaking order regarding fitness or otherwise in the medical category for which he has reported for the medical examination. All reports and related papers should be signed by the candidate (Thumb Impression if not able to sign) with name clearly written below the same. The candidate should also sign a declaration "I have been thoroughly examined and investigated by the Three Member Committee." CMO/CMS/MD/ACMS In-charge will examine the report and after his approval, communicate his decision to the initial medical examiner, who will, in turn, issue the final medical examination certificate accordingly.

Note:-

1. If the initial Medical Authority or the Three-Member Committee are of the view that the medical deficiency/condition of the candidate is curable after treatment, the candidate should be declared as "TEMPORARY UNFIT" and should be advised to get treated within a time frame not exceeding six months from the date of advice to candidate, with a written advice & endorsing a copy to the Memo Issuing Authority. The written advice should also include that the candidate should report to initial Medical Examiner, after completion of treatment within the specified time frame. First Medical Examiner/Medical Committee will then re-examine the candidate as the case may be and submit the report to CMS/CMO/ACMS In-charge/MD I/C of Unit/Division/Sub-Division for final decision. After approval of final decision CMS/CMO/ACMS In-charge/MD will direct first medical examiner to issue the final medical examination certificate as mentioned above.
2. Certificates so issued, should be sent to the concerned Personnel Branch.

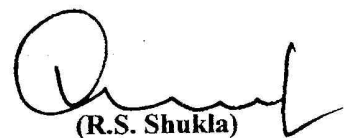


- V. In case the candidate absconds or absent himself willfully prior to/during examination by the Three Member Medical Committee, this fact should be recorded and the decision of the first Medical Examiner would prevail and no further appeal shall be entertained in such cases.
- VI. If the candidate wants to appeal against the decision of the Committee, he should submit the same to CMD of the zone within a period of one month (from the date of receipt of decision from Personnel Department) with due justification routed through concerned Personnel Department of the zone. Such an appeal shall be entertained, only if, the candidate produces a certificate from a Government/Private doctor of the specialty/specialties in which the candidate has been found unfit. Such a certificate should contain a note that the Government/Private specialist is fully aware of the physical & visual standards set by the Railways for the particular medical category, and that he is aware of the fact that the candidate has already been declared unfit according to these standards during medical examination conducted by an appropriate Medical Board comprising of three senior railway doctors appointed by the Government in this regard. The certificates should bear the photograph and mark of identification of the candidates duly attested by such a Government/Private Issuing Authority. Such an issuing authority shall also clearly mention its MCI/State registration number. The candidate should clearly be advised of this para.
- VII. In all cases of appeal to CMD, charges will however be payable by candidate and towards this end a candidate will be required to pay Rs.1000/- through DD payable in favour of FA&CAO of concerned zone/PU. Personnel Deptt will retain such DDs and may get them verified for authenticity from issuing branch, if there is a need. In case of Production Units, such powers for consideration of appeal shall be vested in the CMD of the neighbouring/parent zone where the Production Unit belonged to earlier or is currently situated.
- VIII. Where CMD is of the opinion that there should be re-examination of the case of appeal, he may nominate a Medical Board to re-examine the candidate. The recommendations of Medical Board duly approved by CMD should be communicated to the candidate through concerned Personnel Department.
- IX. In case, the decision at this stage changes from Unfit to Fit, the DD submitted to Railway, will be returned to the candidate. In all other case, this DD will be credited to Railway Revenue in same head, where medical examination fee is being deposited.

Ordinarily, no further appeals will be permissible but exceptional cases if any may be referred to DG/RHS Railway Board for necessary guidelines.

Advance Correction Slip to Para 522 (1) of IRMM, 2000 is enclosed herewith.

This has the approval of Board (MS).



**Joint Director /Health
Railway Board**

Copy to:-

- (i) Chief Medical Directors, All Indian Railways & PUs for information.**
- (ii) Chief Personnel Officers, All Indian Railways & PUs for information.**

Advance Correction Slip to Para 522 of IRMM, 2000

Sub Para(1) of Para 522 of IRMM 2000 may be read as under:-

- I. Medical Examiner – Medical examination of candidates will be done by a Medical Officer with adequate experience in doing medical examination who will be specially nominated by the CMO/CMS/MD/ACMS In-charge for this purpose, imparted suitable training, and approved by CMD/CMO of the zone/PU.
- II. If a candidate has been found to be unfit (Temporary/ Permanent) on any ground, the medical examiner will not issue any certificate and will put up the detailed medical examination report to the CMO/MD/CMS/ACMS In-charge of the Unit/Division/Sub-division/Production Unit Hospital.
- III. CMO/CMS/MD/ACMS In-charge will then constitute a Three Member Medical Committee consisting of 1) a specialist in the concerned field of deficiency other than the initial medical examiner. However, if the specialist is not available within the Unit/Division/Production Unit, a senior doctor not below JAG would be nominated in place of a specialist 2) Any medical officer other than the one who has conducted the first medical examination not below the rank of DMO 3) Any senior medical officer not below JAG.
- IV. This Three Member Medical Committee will examine the candidate thoroughly in true spirit without any appeal preferred by the candidate. Such candidate should be admitted in indoor ward mandatorily, for observations & investigations as required by the Committee of Medical Officers. The accommodation charges etc. in this regard will be borne by the Railway Administration except for such investigations and/or consultations, which is not available in-house, for which the charges will be borne by the candidate concerned. The Committee will submit their report to CMO/CMS/MD/ACMS In-charge along with their opinion & speaking order regarding fitness or otherwise in the medical category for which he has reported for the medical examination. All reports and related papers should be signed by the candidate (Thumb Impression if not able to sign) with name clearly written below the same. The candidate should also sign a declaration "I have been thoroughly examined and investigated by the Three Member Committee." CMO/CMS/MD/ACMS In-charge will examine the report and after his approval, communicate his decision to the initial medical examiner, who will, in turn, issue the final medical examination certificate accordingly.

Note:-

1. If the initial Medical Authority or the Three-Member Committee are of the view that the medical deficiency/condition of the candidate is curable after treatment, the candidate should be declared as "TEMPORARY UNFIT" and should be advised to get treated within a time frame not exceeding six months from the date of advice to candidate, with a written advice & endorsing a copy to the Memo Issuing Authority. The written advice should also include that the candidate should report to initial Medical Examiner, after completion of treatment within the specified time frame. First Medical Examiner/Medical Committee will then re-examine the candidate as the case may be and submit the report to CMS/CMO/ACMS In-charge/MD I/C of Unit/Division/Sub-Division for final



decision. After approval of final decision CMS/CMO/ACMS In-charge/MD will direct first medical examiner to issue the final medical examination certificate as mentioned above.

2. Certificates so issued, should be sent to the concerned Personnel Branch.

- V. In case the candidate absconds or absent himself willfully prior to/during examination by the Three Member Medical Committee, this fact should be recorded and the decision of the first Medical Examiner would prevail and no further appeal shall be entertained in such cases.
- VI. If the candidate wants to appeal against the decision of the Committee, he should submit the same to CMD of the zone within a period of one month (from the date of receipt of decision from Personnel Department) with due justification routed through concerned Personnel Department of the zone. Such an appeal shall be entertained, only if, the candidate produces a certificate from a Government/Private doctor of the specialty/specialties in which the candidate has been found unfit. Such a certificate should contain a note that the Government/Private specialist is fully aware of the physical & visual standards set by the Railways for the particular medical category, and that he is aware of the fact that the candidate has already been declared unfit according to these standards during medical examination conducted by an appropriate Medical Board comprising of three senior railway doctors appointed by the Government in this regard. The certificates should bear the photograph and mark of identification of the candidates duly attested by such a Government/Private Issuing Authority. Such an issuing authority shall also clearly mention its MCI/State registration number. The candidate should clearly be advised of this para.
- VII. In all cases of appeal to CMD, charges will however be payable by candidate and towards this end a candidate will be required to pay Rs.1000/- through DD payable in favour of FA&CAO of concerned zone/PU. Personnel Deptt will retain such DDs and may get them verified for authenticity from issuing branch, if there is a need. In case of Production Units, such powers for consideration of appeal shall be vested in the CMD of the neighbouring/parent zone where the Production Unit belonged to earlier or is currently situated.
- VIII. Where CMD is of the opinion that there should be re-examination of the case of appeal, he may nominate a Medical Board to re-examine the candidate. The recommendations of Medical Board duly approved by CMD should be communicated to the candidate through concerned Personnel Department.
- IX. In case, the decision at this stage changes from Unfit to Fit, the DD submitted to Railway, will be returned to the candidate. In all other case, this DD will be credited to Railway Revenue in same head, where medical examination fee is being deposited.

Ordinarily, no further appeals will be permissible but exceptional cases if any may be referred to DG/RHS Railway Board for necessary guidelines.



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

Dy Commr.
Hulug
14/8
Sd/- BGR
OSR.
14/8/17

सं. 2014/एच/5/8(पालिसी)

नई दिल्ली, दिनांक 07.07.2017

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें,

प्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/महानिदेशक,

अ.अ.मा.सं. सहित सभी उत्पादन इकाइयां.

विषय: रेलवे नियुक्ति के लिए चयनित अराजपत्रित उम्मीदवारों की अपील पर विचार करना-चिकित्सा जाँच में अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के मामले.

संदर्भ:- इस कार्यालय का दिनांक 05.06.2014 एवं 31.12.2015 का समसंख्यक पत्र.

रेल सेवाओं में विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की चिकित्सा जाँच की प्रतिकूल रिपोर्ट पर पुनर्विचार के लिए विस्तृत प्रावधान और अपील करने तथा उसके निपटान की प्रक्रिया भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, तृतीय संस्करण, 2000 के पैरा 522(1) में निर्धारित किए गए हैं. तथापि उक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट नहीं था कि कौन अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा तथा प्रारंभिक चिकित्सा जांच के दौरान अयोग्य घोषित किए गए मामलों पर भी पुनर्विचार के लिए अपीलों की संख्या के परिणामस्वरूप अनुमत अपीलों की अधिकतम संख्या क्या होगी. कुछ उम्मीदवार अपनी पूर्व अपीलों पर क्षेत्रीय रेलवे के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए रेलवे बोर्ड से भी संपर्क कर रहे थे.

कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें उम्मीदवार की उच्च रक्तचाप/मधुमेह या दृश्य तीक्ष्णता समस्याओं से ग्रसित होने के कारण प्रारम्भिक चिकित्सा जांचकर्ता द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था. ऐसे कुछ उम्मीदवारों ने अपना उपचार करवाया और फिर निर्धारित समय सीमा

D/Moti Ram/Health

Dy Commr.

4

के अन्दर पुनर्विचार के लिए अपील की। ऐसे मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी के लिए उम्मीदवार की मूल स्थिति के संबंध में निर्णय लेना वास्तव में मुश्किल हो गया। जो प्रारम्भिक चिकित्सा जांच के दौरान थी। अपीलीय प्राधिकारी इस बात का खंडन करने की स्थिति में नहीं होगा कि व्यक्ति को दवाइयां दी गई हैं या वर्तन संबंधी गलती आदि के लिए उसने शल्य उपचार कराया है। उम्मीदवारों की जांच, प्रारम्भिक चिकित्सा जांच में अयोग्य घोषित कर दिए जाने के मामले में उनकी अपील पर विचार करने तथा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती अपीलों के निपटान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करके इस स्थिति से निपटने का स्थायी उपाय करना है। इसे देखते हुए इस कार्यालय के दिनांक 05.06.2014 के समसंख्यक पत्र द्वारा जोनों को एक विस्तृत नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। यद्यपि इस कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण ने मामलों के निर्णय में जोनों को काफी हद तक मदद की है लेकिन विषय से संबंधित कुछ मुद्दों में आगे और स्पष्टीकरण आवश्यक है।

इस मामले पर कार्यालय में ध्यानपूर्वक विचार किया गया था और बोर्ड के दिनांक 05.06.2014 के समसंख्यक पत्र की अधिक्रमण करते हुए बोर्ड के दिनांक 31.12.2015 के समसंख्यक पत्र द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

बहरहाल, चिकित्सा जांच और अपीलों के कतिपय मामलों में सतर्कता जांच के कारण पूरे मुद्दे की पुनः जांच की गई है और यह महसूस किया गया है कि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुरूप सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बोर्ड के दिनांक 31.2.2015 के पत्र के पैरा III, VII (क एवं ख) में अंतर्विष्ट कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने की जरूरत है। तदनुसार विषयगत मामले पर पिछले सभी पत्रों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-

- I) चिकित्सा जांचकर्ता- चिकित्सा जांच में पर्याप्त अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी जिसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक (एमडी)/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित किया जाएगा, उचित प्रशिक्षण



दिया जाएगा और जोन/उत्पादन इकाई के मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.

- II) यदि किसी उम्मीदवार को किसी आधार पर अयोग्य (अस्थायी/स्थायी) पाया जाता है तो चिकित्सा जांचकर्ता कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा और इकाई/मंडल/उप मंडल/उत्पादन इकाई चिकित्सालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/औषधि चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को विस्तृत चिकित्सा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- III) प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक फिर एक तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति का गठन करेगा जिसमें 1) प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता के अलावा कमी से संबंधित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ होगा. बहरहाल, यदि इकाई/मंडल/उत्पादन इकाई में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो तो एक वरिष्ठ चिकित्सक, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का न हो, को विशेषज्ञ के स्थान पर नामित किया जाएगा. 2) पहली चिकित्सा जांच करने वाले के अलावा कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी जो मंडल चिकित्सा अधिकारी से नीचे रैंक का न हो. 3) कोई भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम न हो.
- IV) यह तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति, आवेदक द्वारा अधिमानित किसी अपील के बिना उचित उत्साह से उम्मीदवार की जांच करेगी. ऐसे उम्मीदवार को चिकित्सा अधिकारियों की समिति द्वारा यथापेक्षित अवलोकन और जांच पड़ताल के लिए अनिवार्यतः अंतरंग वार्ड में भर्ती किया जाएगा. ऐसी जांच पड़ताल और/या परामर्श जो कि इन-हाऊस उपलब्ध नहीं है जिनके प्रभार संबंधित उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे, को छोड़कर इस संबंध में स्थान प्रभार आदि प्रशासन द्वारा वहन किए जाएंगे. समिति उस चिकित्सा कोटि जिसके लिए उसने चिकित्सा जांच के लिए रिपोर्ट किया है, में योग्यता अथवा अन्यथा के संबंध में अपनी राय और स्पष्ट आदेश के साथ प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. सभी रिपोर्टों और संबंधित कागजातों पर नीचे स्पष्ट रूप से लिखे नाम के ऊपर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए. (अंगूठे की छाप यदि हस्ताक्षर करने में समर्थ न



हो) आवेदक को एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करना होगा "तीन सदस्यीय समिति द्वारा मेरी पूर्णतया जांच और जांच पड़ताल की गई है". प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रिपोर्ट की जांच करेंगे और उनके अनुमोदन के पश्चात् अपना निर्णय प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को संसूचित करेंगे जो, तदनुसार, अंतिम चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

टिप्पणी:-

1. यदि प्रारंभिक चिकित्सा प्राधिकारी या तीन सदस्यीय समिति की यह राय हो कि उम्मीदवार की चिकित्सा कमी/हालत का इलाज संभव है तो उम्मीदवार "अस्थायी अयोग्य" घोषित किया जाएगा और उसे समय-सीमा के भीतर जो उम्मीदवार को दी गई सलाह की तारीख के छः माह से अधिक न हो, इलाज करवाने की सलाह दी जाएगी जिसके साथ एक लिखित सूचना होगी और उसकी एक प्रति मेमो जारी करने वाले प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी. लिखित सूचना में यह भी शामिल होगा कि निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इलाज के समापन के बाद उम्मीदवार को प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को रिपोर्ट करना होगा. फिर प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता/चिकित्सा समिति उम्मीदवार की पुनः जांच करेगी, जैसा भी मामला हो और अंतिम निर्णय के लिए इकाई/मंडल/उपमंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/आई/सी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. अंतिम निर्णय के अनुमोदन के बाद प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को ऊपर दिए गए अनुसार अन्तिम चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र जारी करने का निदेश देगा.

2. जारी किए गए प्रमाण-पत्र संबंधित कार्मिक शाखा को भेजे जाने चाहिए.

V) यदि तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति द्वारा जांच के पहले/दौरान उम्मीदवार जान-बूझकर भाग जाता है या अनुपस्थित रहता है तो यह तथ्य रिकॉर्ड किया जाना चाहिए



और पहले चिकित्सा जांचकर्ता का निर्णय लागू होगा और ऐसे मामलों में आगे कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

- VI) यदि उम्मीदवार समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो उसे यह अपील एक माह के भीतर (कार्मिक विभाग से निर्णय को प्राप्ति की तारीख से) जोन के संबंधित कार्मिक विभाग के माध्यम से यथोचित औचित्य के साथ जोन के मुख्य चिकित्सा निदेशक को प्रस्तुत करनी होगी. ऐसी अपील तभी स्वीकार की जाएगी यदि उम्मीदवार उस विशेषता/विशिष्टताओं जिनमें उसे अयोग्य पाया गया है, सरकारी/निजी चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है. ऐसे प्रमाण-पत्र में एक टिप्पणी होनी चाहिए कि सरकारी/निजी विशेषज्ञ को विशेष चिकित्सा श्रेणी के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित किए गए शारीरिक और दृश्यों मानकों के बारे में पूरी जानकारी है और वह इस तथ्य से अवगत है कि उम्मीदवार को इस संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए तीन वरिष्ठ रेलवे डाक्टरों वाले उपयुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा जांच के दौरान इन मानकों के अनुसार पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है. प्रमाण-पत्र में फोटो और उम्मीदवारों का पहचान चिन्ह हो जिसे सरकार/निजी जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित किया जाए. ऐसे जारीकर्ता प्राधिकारी अपने एमसीआई/राज्य पंजीकरण संख्या का भी उल्लेख करें. उम्मीदवार को इस पैरा से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए.
- VII) मुख्य चिकित्सा निदेशक को अपील के सभी मामलों में प्रभार उम्मीदवार द्वारा देय होंगे तथा इसके लिए उम्मीदवार को संबंधित जोन/उत्पादन इकाई के विस एवं मुलेधि के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1000/-रु. का भुगतान करना अपेक्षित होगा. विभाग ऐसे डिमांड ड्राफ्टों को अपने पास रखेगा और यदि आवश्यक हो तो जारीकर्ता शाखा से उनकी प्रामाणिकता की जांच करवाएगा. उत्पादन इकाइयों के मामले में अपील पर विचार करने की ऐसी शक्ति पड़ोसी/मूल जोन के मुख्य चिकित्सा निदेशक के पास होगी जहां उत्पादन इकाई पहले से संबंध थी अथवा वर्तमान में स्थित है.

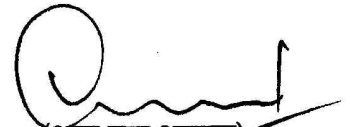


- VIII) जहां मुख्य चिकित्सा निदेशक की राय हो कि अपील के मामले की पुनः जांच होनी चाहिए तो वह उम्मीदवार की पुनः जांच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड नामित कर सकता है. मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा विधिवत् अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशें संबंधित कार्मिक विभाग के माध्यम से उम्मीदवार को संसूचित की जाएंगी.
- IX) यदि, इस स्तर पर निर्णय अयोग्य से योग्य में बदल जाता है तो रेलवे को जमा किया गया डिमांड ड्राफ्ट उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा. अन्य सभी मामलों में यह डिमांड ड्राफ्ट रेलवे राजस्व को उसी शीर्ष में क्रेडिट किया जाएगा जिसमें चिकित्सा जांच शुल्क जमा किया जा रहा है.

साधारणतया, आगे कोई अपील अनुमेय नहीं होगी लेकिन अपवादिक मामले यदि कोई हो तो आवश्यक मार्ग निर्देश के लिए महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा, रेलवे बोर्ड को भेजे जाएं.

इसके साथ भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 के पैरा 522(1) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची संलग्न है.

इसे बोर्ड (सदस्य कार्मिक) का अनुमोदन प्राप्त है.



(आर.एस.शुक्ला)

संयुक्त निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (i) मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों सहित सूचनार्थ.
- (ii) मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों सहित सूचनार्थ.

शुद्धि पर्ची सं. 3/2017

भारतीय रेलव चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 522 के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची.

भारतीय रेलव चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 522 के उप पैरा (1) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

- I) चिकित्सा जांचकर्ता- चिकित्सा जांच में पर्याप्त अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाएगी जिसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक (एमडी)/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित किया जाएगा, उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा और जोन/उत्पादन इकाई के मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.
- II) यदि किसी उम्मीदवार को किसी आधार पर अयोग्य (अस्थायी/स्थायी) पाया जाता है तो चिकित्सा जांचकर्ता कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा और इकाई/मंडल/उप मंडल/उत्पादन इकाई चिकित्सालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/औषधि चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को विस्तृत चिकित्सा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
- III) प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक फिर एक तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति का गठन करेगा जिसमें 1) प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता के अलावा कमी से संबंधित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ होगा. बहरहाल, यदि इकाई/मंडल/उत्पादन इकाई में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो तो एक वरिष्ठ चिकित्सक, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे का न हो, को विशेषज्ञ के स्थान पर नामित किया जाएगा. 2) पहली चिकित्सा जांच करने वाले के अलावा कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी जो मंडल चिकित्सा अधिकारी से नीचे रैंक का न हो. 3) कोई भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम न हो.



- IV) यह तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति, आवेदक द्वारा अधिमानित किसी अपील के बिना उचित उत्साह से उम्मीदवार की जांच करेगी. ऐसे उम्मीदवार को चिकित्सा अधिकारियों की समिति द्वारा यथापेक्षित अवलोकन और जांच पड़ताल के लिए अनिवार्यतः अंतरंग वार्ड में भर्ती किया जाएगा. ऐसी जांच पड़ताल और/या परामर्श जो कि इन-हाऊस उपलब्ध नहीं है जिनके प्रभार संबंधित उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे, को छोड़कर इस संबंध में स्थान प्रभार आदि प्रशासन द्वारा वहन किए जाएंगे. समिति उस चिकित्सा कोटि जिसके लिए उसने चिकित्सा जांच के लिए रिपोर्ट किया है, में योग्यता अथवा अन्यथा के संबंध में अपनी राय और स्पष्ट आदेश के साथ प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. सभी रिपोर्टों और संबंधित कागजातों पर नीचे स्पष्ट रूप से लिखे नाम के ऊपर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए. (अंगूठे की छाप यदि हस्ताक्षर करने में समर्थ न हो) आवेदक को एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करना होगा "तीन सदस्यीय समिति द्वारा मेरा पूर्णतया जांच और जांच पड़ताल की गई है". प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रिपोर्ट की जांच करेंगे और उनके अनुमोदन के पश्चात् अपना निर्णय प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को संसूचित करेंगे जो, तदनुसार, अंतिम चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

टिप्पणी:-

- i) यदि प्रारंभिक चिकित्सा प्राधिकारी या तीन सदस्यीय समिति की यह राय हो कि उम्मीदवार की चिकित्सा कमी/हालत का इलाज संभव है तो उम्मीदवार "अस्थायी अयोग्य" घोषित किया जाएगा और उसे समय-सीमा के भीतर जो उम्मीदवार को दी गई सलाह की तारीख के छः माह से अधिक न हो, इलाज करवाने की सलाह दी जाएगी जिसके साथ एक लिखित सूचना होगी और उसकी एक प्रति मेमो जारी करने वाले प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी. लिखित सूचना में यह भी शामिल होगा कि निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इलाज के समापन के बाद उम्मीदवार को



प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को रिपोर्ट करना होगा. फिर प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता/चिकित्सा समिति उम्मीदवार की पुनः जांच करेगी, जैसा भी मामला हो और अंतिम निर्णय के लिए इकाई/मंडल/उपमंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक/आई/सी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. अंतिम निर्णय के अनुमोदन के बाद प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/औषधि चिकित्सक प्रारंभिक चिकित्सा जांचकर्ता को ऊपर दिए गए अनुसार अन्तिम चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र जारी करने का निदेश देगा.

- ii) जारी किए गए प्रमाण-पत्र संबंधित कार्मिक शाखा को भेजे जाने चाहिए.
- V) यदि तीन सदस्यीय चिकित्सा समिति द्वारा जांच के पहले/दौरान उम्मीदवार जान-बूझकर भाग जाता है या अनुपस्थित रहता है तो यह तथ्य रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और पहले चिकित्सा जांचकर्ता का निर्णय लागू होगा और ऐसे मामलों में आगे कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.
- VI) यदि उम्मीदवार समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो उसे यह अपील एक माह के भीतर (कार्मिक विभाग से निर्णय को प्राप्ति की तारीख से) जोन के संबंधित कार्मिक विभाग के माध्यम से यथोचित औचित्य के साथ जोन के मुख्य चिकित्सा निदेशक को प्रस्तुत करनी होगी. ऐसी अपील तभी स्वीकार की जाएगी यदि उम्मीदवार उस विशेषता/विशिष्टताओं जिनमें उसे अयोग्य पाया गया है, सरकारी/निजी चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है. ऐसे प्रमाण-पत्र में एक टिप्पणी होनी चाहिए कि सरकारी/निजी विशेषज्ञ को विशेष चिकित्सा श्रेणी के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित किए गए शारीरिक और दृश्यों मानकों के बारे में पूरी जानकारी है और वह इस तथ्य से अवगत है कि उम्मीदवार को इस संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए तीन वरिष्ठ रेलवे डाक्टरों वाले उपयुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा जांच के दौरान इन मानकों के अनुसार पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है. प्रमाण-पत्र में फोटो और उम्मीदवारों का पहचान चिन्ह हो जिसे सरकार/निजी जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित किया जाए. ऐसे जारीकर्ता



प्राधिकारी अपने एमसीआई/राज्य पंजीकरण संख्या का भी उल्लेख करें. उम्मीदवार को इस पैरा से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए.

VII) मुख्य चिकित्सा निदेशक को अपील के सभी मामलों में प्रभार उम्मीदवार द्वारा देय होंगे तथा इसके लिए उम्मीदवार को संबंधित जोन/उत्पादन इकाई के विस एवं मुलेधि के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1000/-रु. का भुगतान करना अपेक्षित होगा. विभाग ऐसे डिमांड ड्राफ्टों को अपने पास रखेगा और यदि आवश्यक हो तो जारीकर्ता शाखा से उनकी प्रामाणिकता की जांच करवाएगा. उत्पादन इकाइयों के मामले में अपील पर विचार करने की ऐसी शक्ति पड़ोसी/मूल जोन के मुख्य चिकित्सा निदेशक के पास होगी जहां उत्पादन इकाई पहले से संबद्ध थी अथवा वर्तमान में स्थित है.

VIII) जहां मुख्य चिकित्सा निदेशक की राय हो कि अपील के मामले की पुनः जांच होनी चाहिए तो वह उम्मीदवार की पुनः जांच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड नामित कर सकता है. मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा विधिवत् अनुमोदित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशें संबंधित कार्मिक विभाग के माध्यम से उम्मीदवार को संसूचित की जाएंगी.

IX) यदि, इस स्तर पर निर्णय अयोग्य से योग्य में बदल जाता है तो रेलवे को जमा किया गया डिमांड ड्राफ्ट उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा. अन्य सभी मामलों में यह डिमांड ड्राफ्ट रेलवे राजस्व को उसी शीर्ष में क्रेडिट किया जाएगा जिसमें चिकित्सा जांच शुल्क जमा किया जा रहा है.

साधारणतया, आगे कोई अपील अनुमेय नहीं होगी लेकिन अपवादिक मामले यदि कोई हो तो आवश्यक मार्ग निर्देश के लिए महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा, रेलवे बोर्ड को भेजे जाएं.

